

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)

ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

website - tribal.cg.gov.in

☎ - 2263708 Fax - 2262558

E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/370 पार्ट/2023-24/11788

नवा रायपुर, दिनांक 07/02/2024

प्रति,

कलेक्टर/अध्यक्ष,

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण

आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,

जिला-..... (छ.ग.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की जिला स्तरीय समिति एवं प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के खाते में जमा राशि वापस किये जाने के संबंध में।

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय समिति के अधीन समस्त ईकाईयों का एकजाई आडिट रिपोर्ट के अंतिम शेष (Closing balance) के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से पूर्व वर्ष के अंतिम शेष (Closing balance) को समायोजित करते हुये राशि आवंटित की जाती है।

उल्लेखनीय है कि समेकित आडिट रिपोर्ट भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS की ओर प्रेषित किया जाता है जबकि राज्य स्तर, जिला स्तर एवं विद्यालय स्तर पर भिन्न-भिन्न मात्रा में अंतिम शेष राशि खाते में जमा होती है जिससे एकलव्य विद्यालयों के वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंतिम शेष की राशि समायोजित किये जाने से कम राशि प्राप्त होने के कारण जिला स्तरीय समिति तथा विद्यालय स्तर पर शिष्यवृत्ति तथा अन्य देयकों का भुगतान लंबित हुआ है तथा लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि आवंटन की मांग लगातार की जा रही है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 से जारी की जाने वाली समस्त राशि केवल PFMS के माध्यम से ही अधीनस्थ एजेंसियों (IA) को पुनरावंटित करने के निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS द्वारा प्रतिवर्ष आवंटित राशि में से पूर्व वर्ष के अंतिम शेष के समायोजन रीति को राज्य स्तर से भी लागू किया जा रहा है क्योंकि जिला स्तरीय समिति तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बचत खाते में बड़ी मात्रा में अव्ययित/शेष राशि उपलब्ध है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के प्रभावी बजट नियंत्रण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. जिला स्तरीय समितियों हेतु :-

समस्त जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समितियों के खाते में शेष/अव्ययित संपूर्ण राशि को राज्य स्तरीय समिति के निर्धारित खातों में RTGS/NEFT के माध्यम से तत्काल जमा किया जाकर खातों के शेष को शून्य किया जावे, तथा पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करावे, जिससे भविष्य में जिला स्तरीय समितियों को आवंटित की जाने वाली राशि PFMS के माध्यम से आवंटित की जा सके।

2. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 74 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को PFMS एवं RTGS के माध्यम से निम्नानुसार स्वीकृति आदेश अनुसार राशि आवंटित की गई है :-

(राशि रूपयों में)

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक				कुल आवंटित राशि
				4143, 20.07.23	4872, 14.08.23	6757, 06.09.23	10730, 01.01.24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	4154000	1852200	19170000	1676000	26852200
2		बस्तर	EMRS बेसोली	0	1852200	9739000	1604000	13195200
3		तोकापाल	EMRS मेटावाडा	0	1323000	5959000	1200000	8482000
4		लोहांडीगुडा	EMRS गधियों	0	1058400	4151000	960000	6169400
5		बास्तानार	EMRS कोडेनार	0	1058400	5141000	960000	7159400
6		दरभा	EMRS छिंदवाडा	0	1058400	5031000	960000	7049400
7	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	5700000	1852200	17349000	1460000	26361200
8	कांकेर	अंतागढ़	EMRS लाम्कन्हार	2301000	1852200	18163000	1564000	23880200
9		कांकेर	EMRS अंजनी	0	1323000	5739000	1180000	8242000
10		नरहरपुर	EMRS सुरही	0	1058400	5196000	960000	7214400
11		भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	0	1058400	5801000	960000	7819400
12		दूर्गकोंदल	EMRS भंडारडिगी	0	1058400	5141000	960000	7159400
13	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	6964000	1852200	18450000	1524000	28790200
14		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	0	1323000	7059000	1128000	9510000
15		गीदम	EMRS हड़म	0	1058400	6021000	908000	7987400
16		कुआकोण्डा	EMRS कुआँकोण्डा	0	1058400	5911000	936000	7905400
17	बीजापुर	भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	0	1852200	10564000	1608000	14024200
18		बीजापुर	EMRS बीजापुर	0	1323000	6069000	1192000	8584000
19		उसूर	EMRS डोंगीगुडा	0	1058400	4371000	960000	6389400
20		भोपालपट्टनम	EMRS रुद्राराम	0	1058400	5361000	960000	7379400
21	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेशीवेडा	0	1852200	12709000	1600000	16161200
22		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	0	1323000	5629000	1188000	8140000
23	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	0	1852200	11004000	1676000	14532200
24		कोंटा	EMRS एरबोर	0	1323000	7169000	1196000	9688000
25		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	0	1058400	6131000	960000	8149400
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	EMRS गोलावंड	0	1852200	10729000	1636000	14217200
27		फरसगांव	EMRS चिचाडी	0	1058400	5801000	960000	7819400
28		केशकाल	EMRS बेडमा	0	1058400	6571000	960000	8589400
29		बडेरजपुर	EMRS कोरगांव	0	1058400	9706000	960000	11724400
30		माकडी	EMRS माकडी	0	1058400	6461000	920000	8439400
31	कोरिया	खड़गवां	EMRS पोड़ीडीह	0	1852200	10124000	1640000	13616200
32		सोनहत	EMRS घुघरा	0	1323000	6619000	1188000	9130000
33		भरतपुर	EMRS जमथान	0	1058400	6846000	924000	8828400
34	जशपुर	बगीचा	EMRS सन्ना	6272000	1852200	22662000	1640000	32426200
35		जशपुर	EMRS घोलेंग	0	1323000	6014000	1184000	8521000
36		कांसावेल	EMRS दुदरुडांड	0	1058400	5581000	960000	7599400
37		पत्थलगाम	EMRS सुखरापारा	0	1058400	4811000	960000	6829400
38		फरसावहार	EMRS फरसावहार	0	264600	1597000	240000	2101600
39	सरगुजा	मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	11436000	1852200	15738000	1580000	30606200
40		उदयपुर	EMRS शीखी	0	1323000	6839000	1148000	9310000
41		बतौली	EMRS शिवपुर	0	1058400	6186000	960000	8204400
42		सीतापुर	EMRS पेतला	0	1058400	6791000	960000	8809400
43		लूण्डा	EMRS लूण्डा	0	529200	4441000	480000	5450200

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक				कुल आवंटित राशि
				4143, 20.07.23	4872, 14.08.23	6757, 06.09.23	10730, 01.01.24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	सूरजपुर	भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	12575000	1852200	16964000	1572000	32963200
45		प्रतापपुर	EMRS खोरमा	0	1323000	6069000	1192000	8584000
46		ओड़गी	EMRS ओड़गी	0	1323000	5519000	1180000	8022000
47		प्रेमनगर	EMRS पार्वतीपुर	0	1058400	4976000	960000	6994400
48	राजनांदगांव	राजनांदगांव	EMRS पेण्ड्री	0	1852200	10839000	1568000	14259200
49	मोहला-	मानपुर	EMRS ख्वासफड़की	0	1323000	6124000	1184000	8631000
50	मानपुर-चौकी	मोहला	EMRS माडिग फीडिंग धेनु	0	1058400	5361000	952000	7371400
51	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	0	1852200	12544000	1680000	16076200
52	बलौदाबाजार	कसडोल	EMRS सोनाखान	0	1852200	9189000	1576000	12617200
53	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	0	1852200	10124000	1672000	13648200
54	धमतरी	नगरी	EMRS पथरीडीह	0	1852200	10674000	1636000	14162200
55	गौरेला-	मरवाही	EMRS डोंगरिया	0	1852200	11389000	1592000	14833200
56	पेण्ड्रा-	पेण्ड्रा	EMRS लाटा	0	1323000	8434000	1188000	10945000
57	मरवाही	गौरेला	EMRS नेवसा	0	1058400	7121000	952000	9131400
58	रायगढ़	खरसिया	EMRS छोटमुडपार	6853000	1852200	14491000	1444000	24640200
59		धरमंजयगढ़	EMRS बयासी	0	1323000	6784000	1176000	9283000
60		घरघोड़ा	EMRS छरटांगर	0	1058400	6186000	948000	8192400
61		लैलूंगा	EMRS लैलूंगा	0	529200	4001000	472000	5002200
62	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	0	1852200	9574000	1664000	13090200
63		पाली	EMRS लाफा	0	1323000	6289000	1200000	8812000
64		पोड़ीउपरोड़ा	EMRS रामपुर	0	1058400	4976000	960000	6994400
65	सक्ती	सक्ती	EMRS पलाडीखुर्द	0	1852200	12324000	1640000	15816200
66	बलरामपुर	बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	0	1852200	10784000	1652000	14288200
67		कुसमी	EMRS रामनगर	0	1323000	7004000	1196000	9523000
68		वाड्डफनगर	EMRS बरतीकला	0	1323000	5409000	1192000	7924000
69		राजपुर	EMRS डांडखंडुवां	0	1058400	6351000	960000	8369400
70		शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	0	1058400	6516000	960000	8534400
71		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	0	1058400	6186000	960000	8204400
72	गरियाबंद	छुरा	EMRS कोसमबुड़ा	0	1852200	10234000	1676000	13762200
73		मैनपुर	EMRS देहारगुड़ा	0	1058400	5911000	956000	7925400
74	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	0	1852200	10454000	1668000	13974200
			योग	56255000	100812600	615346000	89208000	861621600

वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपरोक्तानुसार आवंटित राशि में से व्यय उपरांत शेष राशि को छोड़कर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विभिन्न खातों में वर्षों से जमा समस्त अव्ययित/शेष राशि को राज्य स्तरीय समिति के निर्धारित खातों में RTGS/NEFT के माध्यम से तत्काल जमा किया जाये तथा पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जमा की गई राशि का पूर्ण विवरण भरकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को आवंटित राशि के अलावा खातों में अन्य किसी भी प्रकार की शेष/अव्ययित राशि होने पर भविष्य में राशि आवंटित नहीं की जायेगी।

➤ राज्य स्तरीय समिति के निर्धारित खातों का विवरण निम्नानुसार है :-

Bank Name - State Bank Of India
Account Name - CG RAJYA STARIYA ADIM JATI KALYAN AVASIY
EVAM ASHRAM
Account No. - 42024733405
IFSC code - SBIN0018097

अतः निर्देशित किया जाता है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कुशल बजट प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु जारी निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित राशि में से व्यय उपरांत शेष राशि के अतिरिक्त जिला स्तरीय समिति एवं एकलव्य विद्यालयों के खातों में शेष/अव्ययित समस्त राशि को दिनांक 16.02.2024 तक अनिवार्यतः राज्य स्तरीय समिति के निर्धारित खातों में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि अंतिम शेष का समायोजन करते हुये भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS द्वारा दिनांक 15.11.2022 में जारी ब्रेकअप अनुसार मदवार उक्त राशि को पुनः PFMS के माध्यम से राशि आवंटित की जा सके, समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में भविष्य में आवंटन दिया जाना संभव नहीं होगा एवं विपरीत परिस्थिति निर्मित होने पर जिला स्तरीय समिति एवं संस्था प्रमुख स्वयं जवाबदार होंगे।

उपरोक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के प्रदान किया जावे।

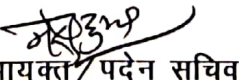
संलग्न :- निर्धारित प्रपत्र


आयुक्त/पदेन सचिव

छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
नवा रायपुर, दिनांक 07/02/2024

पृ. क्रमांक/EMRS/370 पार्ट/2023-24/11789
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति....., की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तरीय खातों में शेष/अव्ययित समस्त राशि को समय-सीमा के भीतर राज्य स्तरीय समिति के निर्धारित खातों में जमा कराना सुनिश्चित करें।
3. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय..... की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित राशि में से व्यय उपरांत शेष राशि के अतिरिक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विभिन्न खातों में वर्षों से जमा समस्त अव्ययित/शेष राशि को समय-सीमा के भीतर राज्य स्तरीय समिति के निर्धारित खातों जमा कराना सुनिश्चित करें।


आयुक्त/पदेन सचिव

छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र

1. जिला स्तरीय समिति हेतु :-

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समितियों द्वारा खातों में वर्षों की शेष/अव्ययित संपूर्ण राशि का निम्नानुसार प्रपत्र में विवरण उपलब्ध कराकर संपूर्ण राशि को राज्य स्तरीय समिति के निर्धारित खातों में RTGS/NEFT के माध्यम से तत्काल जमा किया जाकर खातों का शेष शून्य किया जावे :-

(राशि रूपयों में)

क्रं.	जिला स्तरीय समिति का नाम	वर्तमान में खातों में जमा कुल राशि	राज्य स्तरीय समिति के खातों में जमा राशि का विवरण	
			कॉलम नं. 03 अनुसार जमा की गई राशि	राशि जमा किये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

2. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पत्र में दर्शित स्वीकृति आदेशानुसार आवंटित राशि में से व्यय उपरांत शेष राशि के अतिरिक्त एकलव्य विद्यालयों द्वारा PFMS खाता एवं अन्य सभी खातों में शेष/अव्ययित राशि का निम्नानुसार प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध करायी जाये :-

(राशि रूपयों में)

क्रं.	एकलव्य विद्यालय का नाम	खातों में जमा कुल राशि	वित्तीय वर्ष 2023-24			कॉलम नं. 06 अनुसार शेष राशि छोड़कर राज्य स्तरीय खाते में जमा की जा रही राशि (3-6)	राशि जमा किये जाने का दिनांक
			प्राप्त राशि (पत्र के कड़िका-2 में दर्शित विवरण अनुसार)	व्यय राशि	शेष राशि (4-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8

संस्था प्रमुख/प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा